



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

मध्यप्रदेश



लिंग रोड-3, पत्रकार कॉलोनी के सामने भोपाल

क्रमांक/एन.एच.एम./एच.डब्ल्यू.सी./ 2022/8100

भोपाल, दिनांक 11/11/2022

// आदेश //

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन), IGNOU द्वारा संचालित सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ (CCH) के जनवरी-जून 2022 सत्र के उत्तीर्ण निम्न 3 प्रशिक्षणार्थियों की चॉइस-फिलिंग एवं आवंटन नियमों के आधार पर, उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं.-04 में दर्शित जिले के उपस्वास्थ्य केन्द्र में आगामी आदेश तक संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में संविदा पदस्थापना की जाती है।

SN	APPID	Name	Father/ Husband Name	District	Block	HWC Name	NIN
1	29395	Yogeshvari	Ganraj Turkar	Chhatarpur	Chhatarpur	SHC Peera New	1114216854
2	5043	Teena Pal	Gynandra Pal	Chhatarpur	Chhatarpur	SHC Ragoli	8647866519
3	31635	Abhishek Dadarwal	Kailash Chandra	Chhatarpur	Chhatarpur	SHC Rajapur	3533517110

दिशा निर्देश:-

1. संविदा CHO को 15 दिवस के अन्दर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं खण्ड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से, आर्बटित उपस्वास्थ्य केन्द्र पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। अन्यथा यह नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी। नियत अवधि में ज्वाइन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को राशि 2 लाख रुपये बॉण्ड की शर्तों के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को जमा करना होगा।
2. यदि अपरिहार्य स्थिति में पदभार ग्रहण करने में विलंब होता है तो संविदा CHO द्वारा मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से अनुमति प्राप्त करना होगा।
3. ज्वाइन करते समय संविदा CHO को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में निर्धारित समस्त दस्तावेज तथा शासकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट जमा करना होगा। गर्भावस्था/अन्य बीमारी की स्थिति में जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किये गये मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र के साथ ही संविदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को कर्तव्य पर उपस्थित होने की अनुमति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दी जा सकेगी।
4. संविदा पद पर नियुक्ति आदेश दिनांक से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक (दिनांक 31 मार्च 2023) के लिये अनुबंध होगा।
5. आर्बटित उपस्वास्थ्य केन्द्र पर न्यूनतम 1 वर्ष सेवा देने के पूर्व स्थानांतरण हेतु आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
6. संविदा CHO को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/खण्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा कार्य आवंटन किया जायेगा। संविदा अवधि में रु. 25,000/- प्रति माह मासिक मानदेय एवं अधिकतम रु. 15,000 प्रति माह कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।
7. संविदा CHO को ज्वाइनिंग उपरांत पदस्थापना क्षेत्र में निवास करना आवश्यक होगा।
8. संविदा CHO को शासन के समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों के संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेना होगा। ऐसे कार्यक्रमों में भाग नहीं लेना/अकारण अनुपस्थित पाया जाना कदाचार माना जायेगा।
9. संविदा CHO द्वारा कदाचरण करने अथवा किसी आपराधिक कृत्य में लिप्त होने पर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
10. संविदा CHO मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन होंगे।
11. मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में संविदा CHO को सक्षम अधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
12. संविदा अनुबंध के आधार पर नियमितिकरण के संबंध कोई मांग या दावे स्वीकार्य नहीं होंगे।
13. संविदा की सेवा शर्तें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के संविदा मानव संसाधन मैनुअल वर्ष-2021 (संशोधित) के अनुरूप होगी।

(प्रियंका दास)

मिशन संचालक

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (म.प्र.)

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ

1. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय मध्यप्रदेश।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
3. संचालक एनएचएम मध्यप्रदेश।
4. संचालक वित्त, एनएचएम मध्यप्रदेश।
5. संबंधित कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, मध्यप्रदेश।
6. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, एनएचएम मध्यप्रदेश।
7. समस्त उपसंचालक, एनएचएम मध्यप्रदेश।
8. संबंधित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
9. उपसंचालक आई.टी. एनएचएम की ओर भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
10. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
11. संबंधित जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम मध्यप्रदेश, की ओर भेज कर निर्देशित किया जाता है कि जिला एम एण्ड ई अधिकारी के माध्यम से HWC Portal, NIKSHAY, ANMOL, NCD Portal, e-Sanjeevani में जानकारी अद्यतन करें और संबंधित CHO की ऑनलाईन आई.डी. निर्मित करें।
12. श्री अभय राज सिंह, एसोसिएट डायरेक्टर, सैम्स संस्था, की ओर भेजकर लेख है कि उक्त आदेश सैम्स वेबसाइट पर अपलोड कराना एवं संबंधित उम्मीदवारों को सूचित करना सुनिश्चित करें।
13. आदेश नस्ती।

मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (म.प्र.)